

**कार्यालय,
राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या- प्राथम/परिषद संख्या/2020/1971

लखनऊ दिनांक 15-8-2020

कार्यालय ज्ञापन:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद नई दिल्ली/पारसो प्राथमिक शिक्षा विभाग नई दिल्ली द्वारा संचालित वर्ष 2020-21 हेतु विदेशी स्टीम तकनीकी शिक्षा संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने से सम्बन्धित प्राथमिक शिक्षा परिषद, लखनऊ के सम्बन्धित/सम्बन्धित विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-8-2020 को अखिल प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ की अध्यक्षता में अखिल कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में संचालित द्वारा वर्ष 2020-21 हेतु अर्जित नई संस्थाओं को सम्बन्धित/पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बन्धित विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता वृद्धि समितियों द्वारा प्रदान करने का विचार किया गया।

उक्त को अनुसरण से सम्बन्धित समिति को दिनांक 02-08-2020 में विज्ञापन इन कार्यों पर कार्यवाही संचालित करने वाले पूर्व से सम्बन्धित संस्थाओं को प्रेषण करा गया। सम्बन्धित समिति द्वारा स्वयं विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया।

मिथी क्षेत्र में स्थापित किलोमा इन कार्मसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाएं जो प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ से पूर्व से सम्बन्धित हैं, एवं सत्र 2020-21 हेतु पीएसीआईओ द्वारा उन्हें यथावत् अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में पीएसीआईओ द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अनुसार उनके नाम के समुच्च अर्जित पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता के साथ सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बन्धित विस्तार प्रदान किये जाने पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं सर्वसम्मति से पीएसीआईओ द्वारा प्रदत्त अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम में सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बन्धित विस्तार किये जाने का निर्णय लिया गया।

दिनांक 14-08-2020 को आइएन समन्वय समिति को बैठक में स्थित गये उपरोक्त विषयों को अनुसरण में निर्णय प्रदान की प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा सत्र 2020-21 हेतु निर्णयित। तारी को अर्जित पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता प्रदान हेतु सम्बन्धित विस्तार प्रदान की जाती है -

क्र. सं.	संस्था का नाम	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	पीएसीआईओ द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता	पीएसीआईओ/परिषद द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	माडा	अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, लखनऊ	विदेशी इन कार्मसी	80	80

संख्यांक 02, 03

- ✓ सत्र 2020-21 हेतु पीएसीआईओ/पीएसीआईओ द्वारा निर्णयित की गयी तारी का पूर्ण पालन करें।
- ✓ सत्र 2020-21 हेतु प्राथमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा प्राथमिक शिक्षा परिषद, लखनऊ द्वारा निर्णयित 2020-21 सत्र के अर्जित विचार-विमर्श के अनुसरण करने की तथा मुख्य विदेशी शिक्षा विभाग द्वारा प्रदत्त पाठ्यक्रम हेतु आ. सं. 02/2020/- परिषद से अर्जित करने की कार्यवाही हेतु आ. सं. 02/2020/- परिषद एवं आ. सं. 02/2020 से अर्जित करने की कार्यवाही के अर्जित हेतु आ. सं. 02/2020

(Handwritten Signature)

- संस्था को एडवर्ड्ससीटी/एडवर्ड्ससीटीआईड से आगामी वन हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाता जावश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कल्पित गत विधि/विधियों/संघिनित्तमों/पाठ्यक्रमों/निर्देशों एवं निर्देशक प्राधिका शिक्षा उअए, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद उअए तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद उअए द्वारा बनाये गये विधियों विनियमों आदेशों निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
 - ✓ डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम की संस्था यदि भी अर्ह नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती है तो इस संस्था में समस्त उपरदाखित संस्था का लेगो और शैक्षिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिये संस्था अपने उत्तरदायी होगी। प्राधिका शिक्षा परिषद संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद प्राथमिक शिक्षा निर्देशालय एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई काव द्वारा किया जाय है तथा द्वारा एड के संस्था में मा-व्यापार्य द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संस्था कादेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
 - ✓ डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदत्त वर्ष के लिये अपेक्षित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व सीडीसीआईड से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराया होगा अतथा उन्हें प्रवेश की काउन्सिलिंग के माध्यम से अपना संस्था सार पर लीये प्रवेश। अनुमति नहीं पदान की जायेगी।
 - ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्मित नवीनतम आरक्षण विधियों का अनुपालन करना कावश्यक होगा।
 - ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचना जैसे संस्था की ऐतिहासिक चूहे भूमि स्टाफ सजा सजा कावकरण प्राप्त किया जाने वंता सुलभ संचयण सुलभ आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
 - ✓ संस्था को शिक्षण प्राधिका हेतु उपर्युक्त कावकरण उपलब्ध कराने के साथ वैरिग टोकने के संस्था में समस्त जावश्यक कावस्था सुनिश्चित करनी होगी।
 - ✓ संस्था यह सुनिश्चित की कि संस्था में प्रस्तावित संचालित पाठ्यक्रम को चलाए जाने हेतु सिरोक्षा समिति के संस्था उपलब्ध कराया गये अधिदेश अधि-ध्वन चर्चित उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी कावकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिये कर रही है तो कावकत संस्था की सम्बद्धता संचाल किये जाने की अनुमति की जायेगी।
 - ✓ संस्था के वार्षिक निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि ध्वन प्रयोगवाता उपकरण एवं अन्य साधन-सज्जा एडवर्ड्ससीटी/एडवर्ड्ससीटीआईड/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
 - ✓ सम्बद्धता संघों का अनुपालन न किये जाने कावका वहाँ का उल्लंघन किये जाने की शिका में निम्नानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

फ़ोन- प्राधिका/परिषद सम्बद्धता/2021/3538-4809

दिनांक: 09/08/2021

प्राधिका-

प्रधानाचार्य/निदेशक R.B. GAUTAM COLLEGE OF PHARMACY, BADHAR, SADABAD, HATHRAS



(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

कार्यालय,

राजिव प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या:- प्राशिपा/परिषद/सम्बद्धता/2021/3537

लखनऊ दिनांक 09/08/2021

:-कार्यालय शाप:-

राजिव भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली, फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा वीकिल संव 2021-22 हेतु डिप्लोमा राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उद्देश्य प्राविधिक शिक्षा परिषद, लखनऊ लखनऊ से सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 08/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति को बैठक संभव हुई। बैठक में समिति द्वारा संव 2021-22 हेतु प्राविधिक नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से संपादित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार प्रदान प्रदान करने प्रतीक क्षमता वृद्धि सहित अन्य सही पर विचार करते हुए संव 2021-22 हेतु सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में विवेचन निर्णय के अनुसार मे निच संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, लखनऊ द्वारा संव 2021-22 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन संपादित एवं उसमें अंकित प्रवेश शुल्क हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोठ एवं नाम :- 1958-R.B. GAUTAM COLLEGE OF PHARMACY, BADHAR, SADABAD, HATHRAS

क्रम सं	पाठ्यक्रम का नाम	एचआईसीटीआई/पीसीआईओ द्वारा संव 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश शुल्क	परिषद द्वारा संव 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश शुल्क
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था एचआईसीटीआई/पीसीआईओ द्वारा निर्धारित शर्तें सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उस प्रवेश प्राविधिक शिक्षा परिषद संव 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1982, सेमेस्टर विनियमवली-2018 तथा अन्य लिखित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क वीकिल राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंगों हेतु रु 30150.00/- प्रतिवर्ष दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु संव- 2020-21 प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम के लिए रु 22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रतीक आवेदन से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्रों के शर्तों के सम्बन्ध में समय-समय पर सल्लाह द्वारा निर्णय किये जाने वाले मामलों के प्रभावों होने और तदनुसार कार्रवाई किया जाना आवश्यक होगा। शर्त निर्धारण समिति द्वारा संव 2021-22 हेतु शर्तों का पुनर्निर्धारण किया जाता है, जो शर्तों की लचीलता देने लागू होगी।
- ✓ संस्था को लखनऊ प्राविधिक शिक्षा परिषद तथा उप समितियां संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना विनियमवली-2020 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संपूर्ण प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित करने को ही प्रवेश दिया जाएगा। शर्तों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश परीक्षाएं की जाएगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निम्न शर्तों के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।